संख्या : 771 /XVII(1)-01/2006-07(02)/2006

प्रेषक,

सचिव,
समाज कल्याण,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 29 जून 2006.

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों हेतु "अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना"।

महोदय,

उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अशिक्षित/शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के संचालन के लिये समग्र एवं विस्तृत नियमावली के अभाव में योजना की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

इस सम्बन्ध मे सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना संचालन हेतु सुगम, स्पष्ट एवं विस्तृत नियमावली गठित की जाती है–

योजना की रूपरेखा :

उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित "अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना" गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे बेरोजगारो के लिये होगी जो उत्तरांचल राज्य के स्थाई/मूल निवासी हों तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों की सूची में सम्मिलित हों।

आयु : लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

आय : विशेष राज्य सहायता से वित्त पोषित यह योजना चार भागों में चलाई जाएगी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भागों के लिए लाभार्थी की आय गरीबी की रेखा के नीचे होनी चाहिए। वर्तमान में गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 15,976/– वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए रूपये 21,206/– वार्षिक निर्धारित है। गरीबी रेखा सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो संशोधन किया जायेगा, वह तदनुसार लागू माना जाएगा तथा चतुर्थ भाग के लिए इससे अधिक आय सीमा के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए पांच व्यक्तियों के परिवार को मानक माना जाएगा।

अन्य पात्रताएं :

शिक्षणार्थी बेरोजगार हो तथा किसी व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी को वरीयता दी जायेगी।

चयन समिति : लाभार्थियों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है–

1.	मुख्य विकास अधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	परियोजना अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	:	सदस्य
3.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	:	सदस्य/सचिव
4.	सहायक प्रबन्धक, उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	:	सदस्य
5.	प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	:	सदस्य
6.	प्रबन्धक, अग्रणी लीड बैंक	:	सदस्य
7.	अल्पसंख्यक समुदाय के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य

चयन की प्रक्रिया : चयन की कार्यवाही जनपद स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा की जाएगी।

(1) योजना विशेष के लिये चयन से पूर्व उस योजना का प्रचार–प्रसार जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा जिला सूचना विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत अथवा ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका अथवा नगर पंचायत के माध्यम से भी योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पात्रता के आधार पर उनका परीक्षण कर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये तिथि निर्धारित की जायेगी। साक्षात्कार में उपयुक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा और कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में भी चयनित किये जायेंगे ताकि चयनित लाभार्थियों के भाग न लेने पर प्रतीक्षा सूची में अंकित लाभार्थियों को सम्मलित किया जा सके।

(4) यह समिति जनपद में चयनित लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियां आदि हेतु कार्यवाही करेगी। जिला स्तरीय समिति योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति से राज्य स्तरीय समिति/निगम मुख्यालय को यथासमय अवगत कराएगी। जिन प्रकरणों पर जनपद स्तरीय समिति निर्णय लेने मे समर्थ न हो, उन्हें राज्य स्तरीय समिति/निगम मुख्यालय को सन्दर्भित करेगी। लाभार्थियों का चयन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

(5) चयन का आधार मुख्यतः लाभार्थी की अभिरूचि उसकी शैक्षिक योग्यता का स्तर और योजना के सम्बन्ध में उसकी सामान्य जानकारी का स्तर होगा तथा समय–समय पर शासन को भौतिक प्रगति विवरण से अवगत कराया जाएगा।

योजना का संचालन उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। यह धनराशि अनुदान के रूप निगम को दी जाएगी, यह योजना चार खण्डों में निम्नानुसार चलाई जाएगी–

ऋण धनराशि	अनुदान धनराशि	ब्याज दर
1.00 लाख	25 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार	6 प्रतिशत
3.00 लाख	25 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार	6 प्रतिशत
5.00 लाख	25 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख	8 प्रतिशत
10.00 लाख	25 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख	बैंक द्वारा निर्धारित

उक्त योजना गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों के लिए होगी। अनुदान सहित सम्पूर्ण ऋण राशि, लाभार्थी अंश छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा निगम को दी जायेगी, तथा इसमें ब्याज दर छः प्रतिशत होगी। योजना के अन्तर्गत प्रति अभ्यर्थी का रूपये 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, तो उसमें 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 2.50 लाख तक होगी। इस योजना में ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। समस्त योजना में लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत होगा। अनुदान बैंक तथा निगम के ऋण की पूर्ण अदायगी होने पर दिया जाएगा। इस योजना मे ऋण की वापसी तीन माह बाद शुरू हो जाएगी। ऋण अदायगी सीमा अधिकतम पांच वर्ष होगी। वह रिवालविंग फन्ड के रूप में उपभोग की जायेगी। निगम द्वारा अनुदान/ऋण उन्हीं प्रयोजनों हेतु तथा मानकों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः–189/XXVII(3)/2006, दिनांक 29 जून 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 771 (1)/XVII(1)-01/2006-07(02)/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
7. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
13. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।